बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

पशुओं में कृमि रोग एवं उससे बचाव से संबंधित आवश्यक सुझाव

- हमारे देश में संक्रामक बीमारी के साथ–साथ कृमि रोग से भी पशुओं को भारी क्षति होती है।
- पशुओं के पेट, लीवर, फेफड़ों एवं अन्य अंगों में विभिन्न प्रकार के कृमि पाये जाते हैं जिसके कारण पशुओं को भूख कम लगना, पतला दस्त होना एवं कमजोर हो जाना आदि लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं।
- उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाती है। फलतः पशुपालकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।

पशुओं में सामान्यतः पाये जाने वाले परजीवी :– लीवर फ्लूक, एम्फीस्टोम, सिस्टोसोमा, एसकेरिस, फीता परजीवी आदि।

पहचान :– मल/रक्त नमूने को प्रयोगशाला में जॉच कर परजीवी के अंडे/ परजीवी की पहचान की जा सकती है।

उपचार (कृमिनाशक दवा का प्रयोग)

- **बछड़ों को–** जन्म से 10–15 दिनों के अंदर प्रथम खुराक, प्रथम खुराक के 21 दिन बाद दूसरी खुराक एवं इसके उपरान्त एक वर्ष के उम्र तक प्रत्येक दो महीने पर पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार ।
- **बड़े पशुओं को–** वर्ष में चार बार (प्रत्येक तीन माह पर) पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार।
- गर्भधारण कराने से पहले पशु को कृमिनाशक दवा जरूर देना चाहिए ताकि मॉ द्वारा बच्चे के पेट में परजीवियों का आगमन न हो।
- बाह्य परजीवी से पशुओं एवं गोशाला को मुक्त रखने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से डेल्टामेथरिन/साइपरमेथरिन/अमितराज दवा का प्रयोग करना चाहिए।

नियंत्रण

पशुशाला को साफ–सुथरा रखें/पशु को पीने के लिए साफ पानी दें/चपटे परजीवी को नियंत्रण में रखने के लिए तालाब एवं जलाशय के चारों तरफ नीला तूतिया (कॉपर सल्फेट) का छिड़काव करना चाहिए ताकि घोंघों का उन्मूलन हो सके/तालाब के आसपास की घास पशुओं को चरने नही देना चाहिए।

विशेष जानकारी हेतु स्थानीय पशु चिकित्सालय/संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय/पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (दूरभाष सं0 0612–2226049) से सम्पर्क किया जा सकता है।

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा जनहित में प्रचारित